

प्राथीन
०.५.२०२४

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/504

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
अजयसिंह आदि बनाम मोहनसिंह

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 148 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13.08.2024	<p>प्रार्थीगण अजयसिंह वगैरह की तरफ से वकील श्री विनोद कुमार स्वामी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलगन दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 5 केडब्ल्यूएम के प.नं. 146/396(11) कि.नं. 9/2, 10, 11, 12, 19, 22/2 की 1.310 है। भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 12.09.2024 को पेश हो।</p> <p>12.9.2024 दिनांक 12.9.2024 को उपस्थित/PU माह 2024 पत्रावली 12.9.2024 दिनांक 12.9.2024 पेश करे</p>	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>
19.11.24	<p>वकील केसकन उपस्थित/PU माह 2024 पत्रावली 19.11.24 दिनांक 16.1.2025 पेश करे</p>	
16.1.2025	<p>वकील केसकन उपस्थित/PU माह 2024 पत्रावली 16.1.2025 दिनांक 16.1.2025 पेश करे</p>	
10.3.24	<p>वकील केसकन उपस्थित/PU माह 2024 पत्रावली 10.3.24 दिनांक 10.3.24 पेश करे</p>	
०.५.२४	<p>वकील स्वामी ने प्रार्थना-पत्र मिशाल केसि पेश करने पर पत्रावली को पेश में</p>	<p>प्राथीगण को पेश करे पत्रावली को पेश करे दिनांक</p>



में लिखा गया। १०११ प्रतीने निवेदन कि
कि प्रार्थना का शर्तीनामा होने के कारण
भाग नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा प्रिथरी
में शर्तीक चलाना चाहते हैं। इस प्रार्थना
पर शर्तीक लिखा जाता है मंगलकी नाम
के काग की जाकर काप शर्तीक लकाल -
लाया दाखिल इफर हो।

००
सहायक कलेक्टर एवं
सुपरण्ड अधिकारी
राजसूर